कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांकः 219 /14–1, दिनांकःअलीगढ़,जुलाई 21 ,2020

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विशयः– **कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex-post Facto) के अन्तर्गत अलीगढ़–राया–मथुरा मार्ग (एस0एच0–80) किमी0 चैनेज 26.320 की दांयी पटरी पर ग्राम–बिसावली के खसरा सं0–537 में एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.075012 है0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 07 वृक्षों के पातन की अनुमति। (प्रस्ताव सं0–FP/UP/Others/13877/2015)**

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), लखनऊ का पत्रांक 8B/UP/06/39/2017/FC/46 दिनांक 17.07.2017 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक 1540/अलीगढ़/13877/2015 दिनांक 31.01.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), लखनऊ के संदर्भित पत्र द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निम्नप्रकार निराकरण कर प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ ने पत्र संख्या 182/अलीगढ़/13877/यूपी–135/2015 दिनांक 14.07.2020 द्वारा संशोधित प्रस्ताव संस्तुति सहित इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है। अतः प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा संस्तुति सहित प्रेषित आख्या एवं संशोधित प्रस्ताव के आधार पर आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव संस्तुति सहित अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

S.no.	Objection	Reply
1	आपके द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र में भारत सरकार की समस्त आपत्तियों का समेकित निराकरण नहीं किया गया है।	भारत सरकार की समस्त आपत्तियों का प्रभागीय निदेशक, अलीगढ़ द्वारा समेकित निराकरण कर बिन्दुवार अनुपालन/निराकरण संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्नक–1)**
2	भारत सरकार की आपत्ति बिन्दु सं0–4 के कम में के0एम0एल0 फाईल में संशोधन नहीं किया गया है।	भारत सरकार की आपत्ति बिन्दु सं0–4 के क्रम में के0एम0एल0 फाईल में संशोधन कर, संशोधित के0एम0एल0 फाइल प्रस्ताव के साथ संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्नक–2)**
3	क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित वृक्षारोपण का विस्तृत प्राक्कलन संलग्न है, किन्तु प्राक्कलन में चरणों के नाम त्रुटिपूर्ण अंकित हैं। अतः संशोधित कर संलग्न करते हुए ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करें।	नवीन चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल–टुआमई वन ब्लाक का क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित वृक्षारोपण का विस्तृत त्रुटिरहित प्राक्कलन संलग्न है। **(प्रस्ताव पृष्ठ सं0– 67 से 70)**
4	भारत सरकार की आपत्ति बिन्दु सं0–6 के कम में आपके द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण का क्रमशः 0.07 हे0 एवं 0.9 हे0 का चयन किया गया है जिसमें पूर्व से ही लगभग पूरे क्षेत्रफल में पेड़ लगे दिखाई दे रहे हैं। अतः एक ही पैच का चयन कराकर संशोधित के0एम0एल0 फाईल अपलोड करें।	नवीन चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को खाली एवं एक ही पैच में चयन कर, संशोधित के0एम0ए.ल0 फाईल संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्नक–3)**

C.F. Office/Draftman/Land Transfer/com-ii

5	ऑनलाइन भाग–2 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण का जियो रिफ्रेन्सड डिजीटल मैप तथा टोपोशीट अपलोड की गयी हैं जो सत्यापित नहीं हैं। अतः सत्यापित क्षतिपूरक वृक्षारोपण की जियो रिफ्रेन्सड डिजीटल मैप तथा टोपो शीट ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करें।	नवीन चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का जियो रिफ्रेन्सड डिजीटल मैप तथा टोपोशीट प्रस्ताव में संलग्न कर प्रेषित है एवं इनकी सत्यापित मूल प्रति खाली एवं एक ही पैच में चयन कर, ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड कर दी गयी है। **(प्रस्ताव पृष्ठ सं0– 71 से 72)**

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(के0 प्रवीण राव)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
प्रभारी वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांकः 219 **/14–1 दिनांकित।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।
2. डिवीजनल मैनेजर, नायरा एनर्जी लि0 (पूर्व में एस्सार ऑयल लि0), वर्ल्ड ट्रेड टावर, 1105–06 ग्यारवां तल, सेक्टर–16, नोएडा–201309 (उ0प्र0)

(के0 प्रवीण राव)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
प्रभारी वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।